



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1943 (श0)
(सं0 पटना 857) पटना, बृहस्पतिवार, 7 अक्टूबर 2021

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
21 सितम्बर 2021

सं0 2/कोर्ट-30-03-03/2021-7334/गृ0आ0—सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-4148/2021 सुबोध कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक 10.08.2021 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुशंसा के आलोक में श्री सुबोध कुमार चौधरी, पुलिस निरीक्षक (वरीयता क्रमांक-582) को बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान पी0बी0-2+ग्रेड पे0-5400/-) की कोटि में विभागीय अधिसूचना सं0-933 दिनांक 29.01.2019 द्वारा इनसे कनीय श्री वृजनंदन मेहता (वरीयता क्रमांक-586) को पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में दी गई प्रोन्नति की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए नियुक्त किया जाता है।

2. प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना विकल्प देना होगा।

3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। प्रोन्नत पद पर पदस्थापन की अधिसूचना अलग से निर्गत की जायेगी।

4. यह प्रोन्नति आरक्षण के मुद्दे पर माननीय न्यायालय में चल रहे वाद के अंतिम निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 857-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>